

अति तत्काल
आवेदन पत्र प्राप्त होने
की अन्तिम तिथि 25.10.2016

प्रेषक

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवा, हरियाणा,
बेज न0-11-14, सैक्टर-4, पंचकुला।

सेवा में

1. आयुक्त, हरियाणा राज्य के सभी नगर निगम।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/नगरपालिकाएं (जहां-2 दमकल केन्द्र स्थापित हैं)

यादी क्रमांक:- नि0अ0से0/एफ.ए.-2016/ 74909-999
दिनांक:- 17/10/16

विषय:-

डिविजनल फायर आफिसर, स्टेशन आफिसर व सब फायर आफिसर कोर्स माह जनवरी, 2017 हेतु
आवेदन पत्र भेजने बारे।

1. उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखित है कि माह जनवरी, 2017 में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर द्वारा दिनांक 02.01.2017 से डिविजनल फायर आफिसर, स्टेशन आफिसर व सब फायर आफिसर कोर्स चलाया जाना है जिसके लिए आवेदन पत्र उक्त महाविद्यालय में पहुंचने की अन्तिम तिथि 04.11.2016 निश्चित है। उक्त वर्णित कोर्सों में दाखिले के लिए निम्न प्रकार से अनुभव वांछित है:-

Divisional Course	Officer's Course	Station Officer's & Instructor's Course	Sub Officer's Course
(i) Sponsored candidate must have 2 years regular service as Station Officer or 5 years as Sub-Officer. (ii) The candidate should possess Heavy Motor Vehicle Driving License with 2 year experience. (iii) Physical fitness of the candidate.	(i) Sponsored candidate must have 2 years regular service as Sub officer/ 5 years as Leading Fireman or Driver-cum-Pump Operator. (ii) Physical fitness of the candidate.	(i) Sponsored candidate must have 2 years regular service as Sub officer/ 5 years as Leading Fireman or Driver-cum-Pump Operator. (ii) Physical fitness of the candidate.	(i) Sponsored candidates must have 2 years regular service as Fireman/Leading Fireman/Driver-cum-Pump Operator. (ii) Physical fitness of the candidate.

3. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने दमकल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में से केवल वरिष्ठ, योग्य एवम इच्छुक कर्मचारी का आवेदन पत्र अपनी सिफारिश सहित आयुक्त/उपायुक्त के माध्यम से दिनांक 25.10.2016 तक निदेशालय में भिजवायें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई वरिष्ठ कर्मचारी कोर्स पर जाने का इच्छुक नहीं हो तो, इस सम्बन्ध में उससे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त आपकी पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव भी आवश्यक है कि कोर्स पर जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी का कोर्स पर होने वाला खर्च को पालिका वहन करेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी अधुरा आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन का प्रोफार्मा वैब साईट-www/nfscnagpur.nic.in व nfscnagpur-mha@nic.in से Download करके प्राप्त कर सकते हैं।



उप निदेशक (अग्निशमन)

कृते: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय एवं
अग्निशमन सेवा, हरियाणा, पंचकुला।

Reading

possession and sale of fireworks in a temporary shop subject to the following conditions namely :—

(1) The fireworks shall be kept in a shed made of non-flammable material, which is closed and secured so as to prevent unauthorised persons having access thereto.

(2) The sheds for possession and sale of fireworks shall be at a distance of at least three metres from each other and fifty metres from any protected work.

(3) The sheds shall not face each other.

(4) No oil burning lamps, gas lamps or naked lights shall be used in the shed or within the safety distance of the sheds. Electrical lights, if used, shall be fixed to the wall or ceiling and shall not be suspended by flexible wire. Switches for each shop shall be fixed rigidly to the wall and a master switch shall be provided for each row of sheds.

(5) Display of fireworks shall not be allowed within fifty metres of any shed.

(6) In one cluster not more than fifty shops shall be permitted.

Terminology used in this rule namely "protected work" is defined in the rules as under:

(43) "protected works" includes buildings or structures in which persons dwell, work or assemble, college, school, hospital, theatre, cinema house, shop, market, factory, place of worships, place of storage of hazardous substances, highway or public road, railway line, navigable waterways, cross country above ground pipelines, dams or reservoirs, overhead high tension power lines, but does not include cart tracks not in regular use, agricultural wells and pump sets connected therewith;

3. उपरोक्त हिदायतों के दृष्टिगत निरीक्षण करने के लिए निम्न अनुसार दमकल केन्द्र अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है:-

क्र. सं०	मण्डल का नाम	कार्यरत दमकल केन्द्र अधिकारी का नाम	जिन जिलों के दमकल केन्द्रों पर निरीक्षण किया जाना है।
1	अम्बाला	श्री गुलशन कालड़ा, यमुनानगर- जगाधरी श्री कृष्ण कुमार, कुरुक्षेत्र	अम्बाला, यमुनानगर तथा पंचकूला कैथल तथा कुरुक्षेत्र।
2	गुडगांव	श्री महेंद्र सिंह भारद्वाज, फरीदाबाद श्री ईशम सिंह कश्यप, गुडगांव	फरीदाबाद, पलवल तथा रेवाड़ी। गुडगांव, नारनौल तथा मेवात।
3	हिसार	श्री देवेन्द्र नन्दा, बहादुरगढ़ श्री सज्जन सिंह, रेवाड़ी	भिवानी, फतेहाबाद तथा जीन्द। हिसार तथा भिवानी।
4	रोहतक	श्री रमेश सिहाग, रोहतक श्री हरी सिंह सैणी, पानीपत	रोहतक तथा झज्जर। सोनीपत, पानीपत तथा करनाल।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना करने का कष्ट करें।

पृ० क्रमांक:नि.अ.से./एफ.ए.-2016/ 75000-03

एक प्रति उपरोक्त सभी सम्बन्धित दमकल केन्द्र अधिकारियों को भेज कर निदेशित किया जाता है कि उक्त हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाये।

सी०सी०:-

1. नोडल आफिसर, वेब पोर्टल (मु०)